Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to implement Minimum Wages Act in Jammu and Kashmir.

श्री हसनैन मसूदी : महोदय, मैं विषय पर आ रहा हूं । सवाल यह है कि हमने बड़ी मेहनत करके एक वेज-कोड बनाया था । जम्मू-कश्मीर में लगभग 61 हजार कैजुअल वर्कर्स, जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, स्कूल डेवलपमेंट फंड, कॉलेज डेवलपमेंट फंड, कैंपा (CAMPA) में कार्यरत हैं, उनको मिनिमम वेजेज नहीं दिए जा रहे हैं । उनको मिनिमम वेज से भी कम दिया जा रहा है । पिछले 10 सालों से जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनकी रीढ़ की हड्डी हैं, फिर चाहे वह पॉवर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, जल-जीवन डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ हो, हर-एक डिपार्टमेंट्स में ये बड़ी कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं ।

महोदय, जरूरत इस बात की है कि मिनिमम वेजेज एक्ट वहां इम्प्लिमेंट हो । माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं । जम्मू-कश्मीर में जो डिस्एबिलिटी पेंशन दी जा रही है, वह पूरे देश के राज्यों की तुलना में सबसे कम है । यह एक महीने में एक हजार रुपये दी जा रही है । इसके अलावा कोई भी तुरन्त फैसिलिटी उनके लिए एक्सेस नहीं हो रही है । इस बारे में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है । अत: मेरी यह गुजारिश है कि एक तो रिक्रेजिशन की पॉलिसी बनाई जाए, ताकि जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जिनके करीब एक लाख के करीब घराने हैं और कुल आबादी 10 लाख के करीब है, उनके लिए सोशल जस्टिस मिनिस्टर इन्श्योर करें कि जम्मू-कश्मीर में जो मिनिमम वेजेज हैं, वे इन सारे वर्कर्स को दिए जाएं । धन्यवाद ।